न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – देवीलालल यादव (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 129 / 2022

उनवान

सुरेश बनाम केसर

प्रार्थना पत्र वाद पत्र को अबैट किये जाने बाबत

दिनांक :– 10/9/24

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 / प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 9, 10 व 13 की मृत्यु हो चुकी है। जिसकी ताईद तामीली रिपोर्ट से होती है। उक्त प्रतिवादीगण की कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु न्यायालय द्वारा वादी को कई अवसर प्रदान किये जा चुके है, इसके उपरान्त भी वादी द्वार कयम मुकाम की कार्यवाही नही की गयी है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि कायम मुकाम की कार्यवाही 90 दिवस मे करना आवश्यक है, अन्यथा दावा अबैट माना जावेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद अबैट करने के आदेश पारित करावे।

अधिवक्ता वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र नही पेश कर सीधी बहस करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 9, 10 व 13 की मृत्यु की सूचना दिनांक 16.08.23 को तामीली रिपोर्ट से प्राप्त हुयी है। उक्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात वादी अधिवक्ता को दिनांक 13.09.23, 13.03.24, 10.07.24, 18.07.24, 26.07.24 को अवसर दिये गये। किन्तु वादी द्वारा लगभग 1 वर्ष व्यतित होने के बाद भी प्रतिवादी के कायम मुकाम की कार्यवाही के लिये कोई आवेदन न्यायालय में पेश नही किया है। वादी द्वारा प्रतिवादी के वारिस रेकार्ड में किन कारणों से आज दिवस तक नही लिये गये इसका कोई युक्ति युक्त कारण भी उनके द्वारा नही बताया गया है। वादी ने उक्त वाद विभाजन के लिये पेश किया है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन पेश करने के बाद भी वादी द्वारा प्रकरण में कायम मुकाम की कार्यवाही नही की गयी है। वादी द्वारा प्रतिवादी के उक्त आवेदन के खण्डन में अपना लिखित जवाब भी पेश नही किया है। प्रतिवादी संख्या 9, 10 व 13 के विरूद्व वाद अबैट हो चुका है तथा प्रश्नगत प्रकरण विभाजन का होने के कारण प्रतिवादी संख्या 9, 10 व 13 के वारिस रेकार्ड पर नही होने के कारण आराजी मुतनाजा का विभजन नही हो सकता है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि When the land is in joint khatedari – all the co-tenant are necessary party. उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 9, 10 व 13 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना भूमि का विभा[illegible] नही है।

अतः प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा [illegible] है। वाद मृत व्यक्तियों के वारिस रिकार्ड पर नही लिये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद